निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1942 (श0)

(सं0 पटना 395) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2020

सं० 8/आरोप–01–50/2015–4599/सा०प्र०

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

11 मई 2020

श्री तारकेश्वर प्रसाद साह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–679/2011, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, धमदाहा, पुर्णियाँ के विरूद्ध अंचलाधिकारी, कैमूर (भभूआ) व खुटौना तथा अररिया में पदस्थाना काल से संबंधित घोर अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता, मुख्यालय दिवस निर्धारित नहीं करने अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तैयार नहीं करने सहित अन्य आरोप, चुनाव में पारदर्शिता, निष्पक्षता नहीं बरतने एवं अनियमिता बरते जाने एवं वरीय उप समाहर्त्ता, नालन्दा के रूप में अनाधिकृत अनुपस्थिति, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना किये जाने तथा उपर्यक्त सभी आरोपों के संबंध में बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने से संबंधित आरोप पत्र क्रमशः आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना, जिलाधिकारी, अररिया, जिलाधिकारी, नालन्दा एवं जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्राप्त हुआ।

2. जिलों से प्राप्त आरोप पत्रों के आधार पर विभाग स्तर से क्रमशः सभी आरोपों के लिये श्री साह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं कई स्मार पत्र भी दिये गये। अनेकों स्मार पत्र दिये जाने के बावजूद भी श्री साह के द्वारा किसी भी आरोप के लिये कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

3. समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए समेकित रूप से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16309 दिनांक 03.12.12 द्वारा श्री साह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 648 दिनांक 08.05.2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री साह के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 7576 दिनांक 22.05.2015 द्वारा श्री साह से लिखित अभिकथन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अनेकों स्मार के बावजूद भी श्री साह द्वारा अपना लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया।

5. लिखित अभिकथन अप्राप्त रहने की स्थिति में जिलों से प्राप्त आरोप पत्र एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री साह द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए न तो अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया न ही लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया। साथ ही श्री साह के द्वारा विभागीय कार्यवाही में भी सहयोग नहीं किया गया। सुनवाई हेतु निर्गत पत्रों/समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन के बावजूद भी उनके द्वारा न ही स्वयं उपस्थित होकर अथवा अन्य माध्यम से बचाव बयान जाँच पदाधिकारी के समक्ष रखा गया, जिसका उल्लेख संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रविवेदन में भी किया गया है। वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत श्री तारकेश्वर प्रसाद साह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–679/11, को निम्नांकित दंड विनिश्चित किया गया :–

(1) देय तिथि से प्रोन्नति पर पाँच वर्षों तक रोक तथा

(2) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक।

उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव के क्रमांक 02 में विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–14320 दिनांक 21.10.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग की दिनांक 06.03.2020 को आहुत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री साह के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव (यथा संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक।) पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त मंतव्य/सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–3379 दिनांक 17.03.2020 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री तारकेश्वर प्रसाद साह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 679/11,तत्कालीन अंचलाधिकारी, कैमूर, भभूआ सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवरण पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णिया को प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है:–

(1) देय तिथि से प्रोन्नति पर पाँच वर्षों तक रोक तथा

(2) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक।

आदेश:– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 395-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in